न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्याः–2/2019

दायर दिनांकः–22.08.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस.

विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री गोपाल मालवीय पिता श्री बाबुलाल मालवीय निवासी दलोट
2. सरपंच ग्राम पंचायत दलोट
3. सचिव, ग्राम पंचायत दलोट
4. प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट
5. श्री मोहनलाल पिता श्री नाथू पाटीदार निवासी दलोट

विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध पंचायत संकल्प संख्या 12 दिनांक 29.09.2011 द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 4 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1996

निर्णय 18.07.2023

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत की हैः–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत दलोट ने अपने संकल्प संख्या 12 दिनांक 29.09.2011 को विपक्षी क्रमांक 1 को एक आबादी भूखण्ड मौजा दलोट की आराजी नम्बर 1648 में 19 गुणा 14 बराबर 266 वर्गफीट का 184 रूपया प्रतिवर्गफीट की दर से कुल रूपया 48944/– अक्षरे अडतालिस हजार नो सो चवालिस रू में आवंटन किया [illegible] क्त पट्टे का पंजीयन दिनांक 11.07.2012 को जरिये दस्तावेज [illegible] उप पंजीयक अरनोद में पंजीकृत कराया गया। ग्राम पं[illegible] उक्त आराजी नम्बर [illegible] में जो आबादी का पट्टा जारी किया गया है वह कानू[illegible] गलत है क्योंकि 21/09/2011

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:16:46 IST
Reason: SelfAttested

को जरिये संकल्प क्रमांक 03 से चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट को जरिये पट्टा क्रमांक 58 से 218 फीट उत्तर की ओर, 190 फीट दक्षिण की ओर, 588.8 फीट पूरब की ओर, 770 फीट पश्चिम की ओर भूमि आवंटन की गई तब से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन पंचायत द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि का आवंटन कर दिया है जो कतई गलत होकर निरस्त होने योग्य है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी विरूद्व विपक्षीगण प्रस्तुत की जा रही है:—

1. यह है कि उक्त पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियम व कानून के विपरीत जारी किये जाने से निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटित करने की प्रक्रिया राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1996 के नियम 140 से 162 में उल्लेखित है जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति पंचायत से आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो उसको खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि की जानकारी कराते हुए लिखित रूप से एक आवेदन नियम 145 के तहत देगा। ग्राम पंचायत नियम 146 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इन्द्राज करने के बाद पत्रावली खोलती है तत्पश्चात आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु तीन पंचो की कमेटी का गठन किया जाता है जो उप नियम 3 के अन्तर्गत वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। इसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा नियम 147 के अन्तर्गत यह यह प्रस्ताव लिया जाता है कि आवेदित भूमि को बेचान किया जाना है अथवा नहीं। यदि बेचान का संकल्प लिया जाता है तो नियम 148 में 1 महिने का नोटिस प्रकाशित किया जाता है और आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जाकर एक प्रति बेची जाने वाली भूमि पर चस्पा की जाती है और दूसरी प्रति दो प्रति व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ चस्पा करने की तस्दीक के रूप में ग्राम पंचायत को लौटायी जाती है। एक महिने के बाद नियम 149 में कार्यवाही करते हुए यदि कोई आपत्तियां आती है तो सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निपटारा किया जाता है। नियम 154 में नीलामी करवाये जाने तथा नियम 156 में आपसी बातचीत पश्चात आबादी भूमि के हस्तान्तरण का प्रावधान है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:16:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

क्रिया का पालन किया गया हो ऐसा उक्त जारी पट्टे में कोई ओर पंचायत का प्रस्ताव रिकार्ड भी पंचायत से गायब होने से ों के खिलाफ दिनांक 20.08.2019 को एक प्रथम सूचना 0/19 थाना अरनोद में तत्कालिन सचिव के खिलाफ दर्ज सकी प्रति इस निगरानी के साथ संलग्न है।

दी पट्टा 184 रूपया प्रति वर्गफीट की दर से राशि लेकर पक्ष में जारी कर दिया गया है जबकि पंचायत को इस ट्टा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है इसलिए जो या है वो कानून व नियम विरूद्व होने से निरस्त किये

ारी की जानकारी में उक्त प्रकरण दिनांक 20.08.2019 रानी अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु म का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

न है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम 29.09.2011 को संकल्प संख्या से पट्टा क्रमांक उसे निरस्त किया जावे।

ा जाकर विपक्षीगणों को सूचना पत्र तलब से 4 बावजूद सूचना के ... तः उनके ल में लाई जाकर पत्रावली ... जवाब विपक्षी दिनांक 31.10.2019 को विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा क 20.11.2019 को आदेश ... 1 नियम 10 ुत किया। अधिवक्ता निगरानी ... दिनांक 06. जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 19.08.2020 को पत्रावली वास्ते आदेश 31.08.2020 नियत की द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने हेतु आदेशित 09.12.2020 को संशोधित टाईटल प्रस्तुत उपलब्ध कराई गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता विपक्षी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:16:46 IST
Reason: SelfAttested

ारा दिनांक 01.02.2021 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अरनोद के ादेश दिनांक 03.12.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) धारा 151 ाप्ता दिवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पीएचसी दलोट एवं ार्थी के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से दिनांक 09.03.2019 को ापसी राजीनामा हुआ है।

प्रकरण में अधिवक्ता निगरानी को प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस हेतु पर्याप्त वसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब व बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अतः करण में निगरानी अधिवक्ता की जवाब व बहस बन्द कर प्रकरण वास्ते गरानी बहस हेतु दिनांक 17.07.2022 नियत की गई। उक्त अवधि के उपरान्त अधिवक्ता निगरानी द्वारा जवाब व बहस नहीं की गई। अतः प्रकरण में ननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु देशित किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दिनांक 01.05.2023 को पर्याप्त अवसर दिये जाकर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने का दन किया। प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थी को दी जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर गई। प्रार्थी को प्रकरण में बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी ी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी की बहस [illegible] गई।

ूंकि प्रकरण वर्तमान में माननीय सिविल न्यायालय [illegible] होकर ण से सम्बन्धित पट्टे का भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] किया गया विक्रय पत्र खारीज करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय [illegible] न होकर ल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाकर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सिविल न्यायालय में राधीन प्रकरण में पैरवी कर दादरसी प्राप्त करे।

र्णय आज दिनांक 18.07.2023.को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया

(दुर्गा शंकर मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 11:16:46 IST
Reason: SelfAttested